अध्याय-1: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2021-22 में हरियाणा सरकार द्वारा एकत्रित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े **तालिका 1.1** में उल्लिखित हैं:

तालिका 1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(` करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22[1]
1.	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	कर राजस्व	41,099.38	42,581.34	42,824.95	41,913.80	53,377.16
	कर-भिन्न राजस्व	9,112.85	7,975.64	7,399.74	6,961.49	7,394.13
	योग	**50,212.23**	**50,556.98**	**50,224.69**	**48,875.29**	**60,771.29**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों का हिस्सा	7,297.52	8,254.60	7,111.53	6,437.59	9,722.16[2]
	सहायता अनुदान	5,185.12	7,073.54	10,521.91	12,248.13	7,598.24[3]
	योग	**12,482.64**	**15,328.14**	**17,633.44**	**18,685.72**	**17,320.40**
3	**राज्य सरकार की की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)**	**62,694.87**	**65,885.12**	**67,858.13**	**67,561.01**	**78,091.69**
4	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**80.09**	**76.74**	**74.01**	**72.34**	**77.82**

(स्रोत: वित्त लेखे)

[1] राज्य सरकार के वित्त लेखे।

[2] इसमें केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के हिस्से के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 2,763.35 करोड़ की राशि शामिल हैं।

[3] इसमें वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 2,908.67 करोड़ की राशि शामिल है।

2017-18 से 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्ति **चार्ट 1.1** में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.1: कुल राजस्व प्राप्तियां

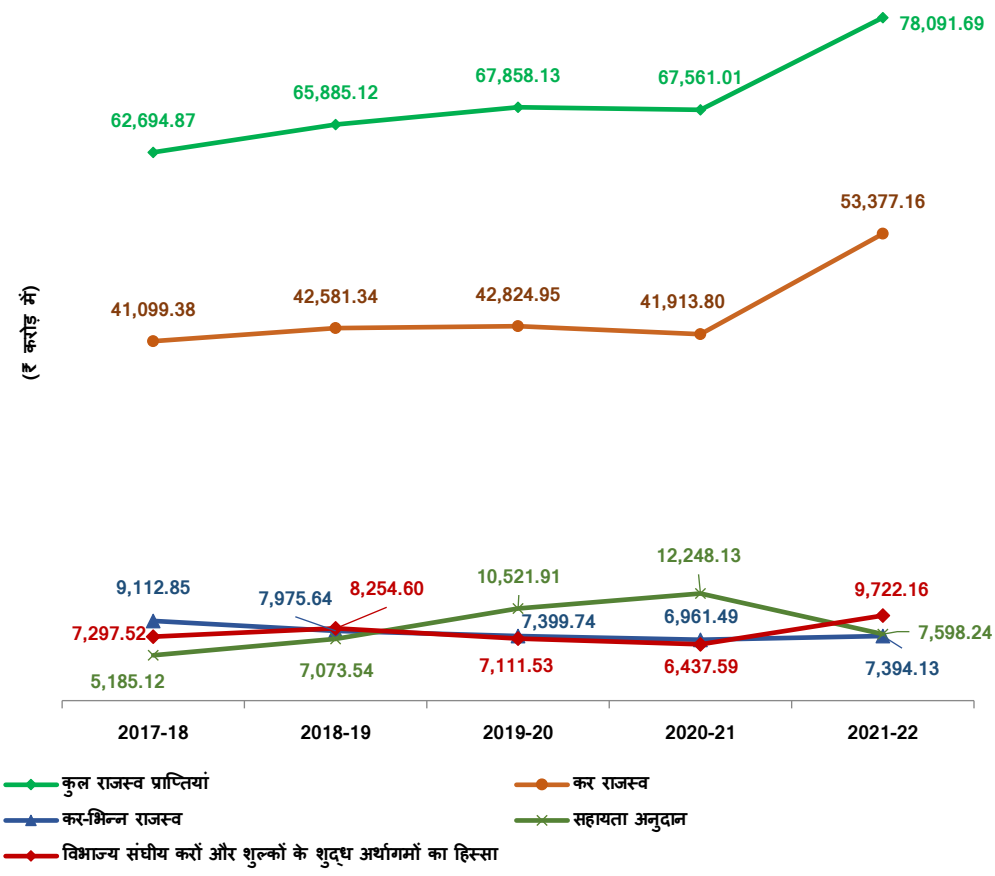

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 24.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 29.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई, भारत सरकार से सहायता अनुदान में 46.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई और विभाज्य संघ करों और शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के हिस्से में 33.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (` 60,771.29 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 77.82 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्तियों का शेष 22.18 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों तथा सहायता अनुदानों के शुद्ध अर्थागमों के रूप में राज्य का हिस्सा भारत सरकार से मिला था।

कुल राजस्व प्राप्तियों से राज्य सरकार की अपने स्रोतों से राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 2017-18 में 80.09 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 77.82 प्रतिशत हो गई।

1.1.2 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के विवरण **तालिका 1.2** में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.2: एकत्रित किए गए कर राजस्व के विवरण

(` करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2020-21 के वास्तविकों पर 2021-22 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)					
1.	बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट)	15,608.92 (37.98)	8,998.00 (21.31)	8,397.81 (19.61)	8,660.16 (20.66)	11,220.71 (21.02)	29.57
2.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	10,833.43 (26.36)	18,612.72 (43.71)	18,872.95 (44.07)	18235.79 (43.50)	22,922.15 (42.94)	25.70
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	4,966.21 (12.08)	6,041.87 (14.19)	6,322.70 (14.76)	6,864.42 (16.38)	7,933.42 (14.86)	15.57
4.	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	4,192.49 (10.20)	5,636.17 (13.23)	6,013.30 (14.04)	5,157.02 (12.30)	7,598.38 (14.24)	47.34
5.	माल एवं यात्रियों पर कर	2,317.47 (5.64)	20.70 (0.05)	15.85 (0.04)	3.74 (0.01)	5.94 (0.01)	58.82
6.	वाहनों पर कर	2,777.57 (6.76)	2,908.29 (6.83)	2,915.76 (6.81)	2,495.08 (5.95)	3,264.61 (6.12)	30.84
7.	बिजली पर कर एवं शुल्क	306.03 (0.74)	336.92 (0.79)	262.01 (0.61)	476.07 (1.14)	404.36 (0.76)	(-) 15.06
8.	भू-राजस्व	18.07 (0.04)	19.19 (0.05)	20.68 (0.05)	16.60 (0.04)	21.29 (0.04)	28.25
9.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	79.19 (0.19)	7.48 (0.02)	3.89 (0.01)	4.92 (0.01)	6.30 (0.01)	28.05
	योग	**41,099.38**	**42,581.34**	**42,824.95**	**41,913.80**	**53,377.16**	**27.35**
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	**20.79**	**3.61**	**0.57**	**(-) 2.13**	**27.35**	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

विभिन्न कर राजस्व की वर्षवार प्रवृत्ति **चार्ट 1.2** में उल्लिखित है।

चार्ट 1.2: एकत्रित राजस्व कर का विवरण

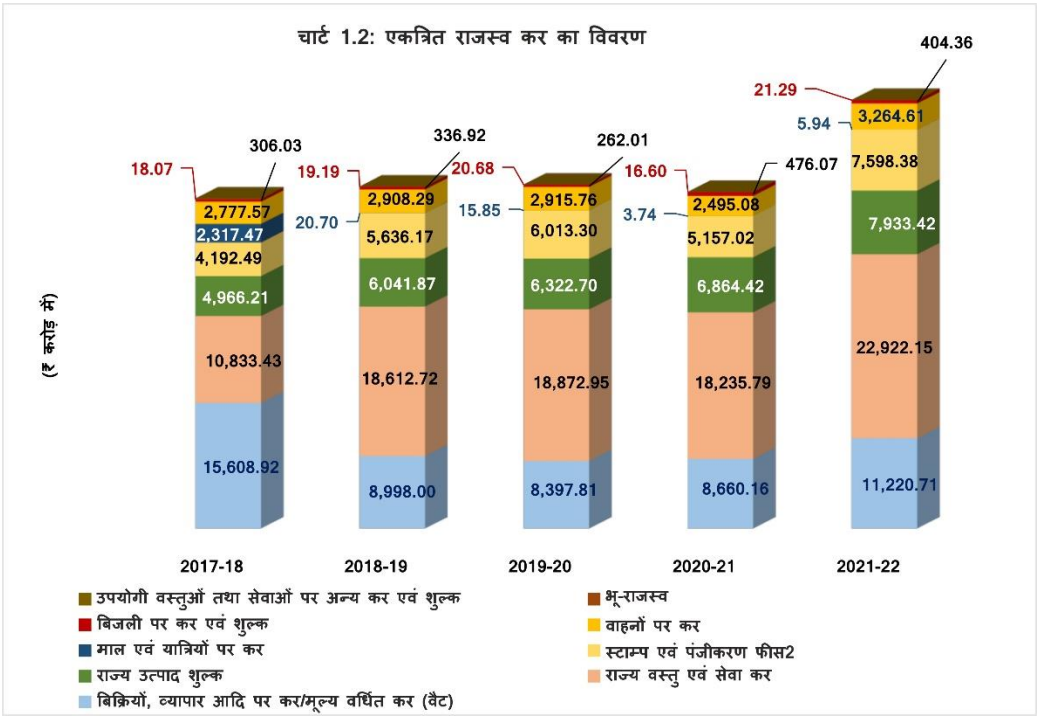

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान कर राजस्व में ₹ 12,277.78 करोड़ (29.87 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक पांच वर्षों के लिए कर राजस्व की औसत प्राप्ति

₹ 44,359.33 करोड़ के साथ इस अवधि के लिए औसत वृद्धि दर 10.04 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में कर राजस्व में 27.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

संबंधित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किएः

- **बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट):** बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट) केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम और राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण 2020-21 में ₹ 8,660.16 करोड़ की तुलना में 2021-22 में बढ़कर ₹ 11,220.71 करोड़ हो गया।
- **राज्य वस्तु एवं सेवा कर:** राज्य वस्तु एवं सेवा कर की अधिक प्राप्तियों के कारण राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्राप्ति 2020-21 में ₹ 18,235.79 करोड़ की तुलना में 2021-22 में बढ़कर ₹ 22,922.15 करोड़ हो गई।
- **राज्य उत्पाद शुल्क:** नई उत्पाद शुल्क नीति की शुरूआत तथा उत्पाद शुल्क और लाइसेंस फीस की दरों में वृद्धि के कारण राज्य उत्पाद शुल्क की प्राप्ति 2020-21 में ₹ 6,864.42 करोड़ की तुलना में 2021-22 में बढ़कर ₹ 7,933.42 करोड़ हो गई।
- **स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस**: 2021-22 में अचल संपत्ति की बिक्री/खरीद में वृद्धि और वेब हैलरिस सॉफ़्टवेयर का उपयोग करने से स्टाम्प शुल्क की चोरी में कमी के कारण स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस की प्राप्ति 2020-21 में ₹ 5,157.02 करोड़ की तुलना में 2021-22 में बढ़कर ₹ 7,598.38 करोड़ हो गई।
- **वाहनों पर कर:** पुलिस कर्मियों की तैनाती के बाद बेहतर प्रवर्तन और मोटर वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि के कारण वाहनों पर कर की प्राप्ति 2020-21 में ₹ 2,495.08 करोड़ की तुलना में बढ़कर 2021-22 में ₹ 3,264.61 करोड़ हो गई।
- **बिजली पर कर एवं शुल्क:** बिजली उपयोगिता के लिए उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क की कम वसूली के कारण बिजली पर कर एवं शुल्क की प्राप्ति 2020-21 में ` 476.07 करोड़ की तुलना में 2021-22 में घटकर ` 404.36 करोड़ हो गई।

1.1.3 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के दौरान एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण **तालिका 1.3** में इंगित किए गए हैं।

तालिका 1.3: एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण

(` करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2020-21 के वास्तविकों पर 2021-22 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)					
1.	ब्याज प्राप्तियां	2,227.82 (24.45)	1,953.84 (24.50)	1,974.86 (26.69)	1,561.74 (22.43)	1,378.23 (18.64)	(-) 11.75
2.	सड़क परिवहन	1,279.66 (14.04)	1,196.64 (15.00)	1,114.51 (15.06)	585.38 (8.41)	1,077.44 (14.57)	84.06
3.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	674.03 (7.40)	272.17 (3.41)	457.94 (6.19)	595.47 (8.55)	220.11 (2.98)	(-) 63.04
4.	शहरी विकास	2,861.45 (31.40)	2,315.60 (29.03)	1,855.51 (25.08)	1,953.92 (28.06)	1,240.74 (16.78)	(-) 36.50
5.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	712.87 (7.82)	583.20 (7.31)	702.25 (9.49)	1,020.95 (14.67)	837.77 (11.33)	(-) 17.94

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2020-21 के वास्तविकों पर 2021-22 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)					
6.	बृहद् एवं मध्यम सिंचाई	132.43 (1.45)	164.19 (2.06)	171.74 (2.32)	209.67 (3.01)	232.10 (3.14)	10.70
7.	पुलिस	128.69 (1.41)	176.96 (2.22)	179.84 (2.43)	53.51 (0.77)	87.39 (1.18)	63.32
8.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	165.37 (1.81)	159.93 (2.01)	107.89 (1.46)	65.62 (0.94)	87.83 (1.19)	33.85
9.	वानिकी एवं वन्य जीवन	33.10 (0.36)	28.53 (0.36)	23.07 (0.31)	19.97 (0.29)	16.73 (0.23)	(-) 16.22
10.	विविध सामान्य सेवाएं [4]	251.50 (2.76)	166.03 (2.08)	62.96 (0.85)	131.69 (1.89)	283.99 (3.84)	115.65
11.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	189.34 (2.08)	195.70 (2.45)	171.89 (2.32)	197.19 (2.83)	221.87 (3.00)	12.52
12.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	456.59 (5.01)	762.85 (9.56)	577.28 (7.80)	566.38 (8.14)	1,709.93[5] (23.13)	201.90
योग		**9,112.85**	**7,975.64**	**7,399.74**	**6,961.49**	**7,394.13**	**6.21**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.3: एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण

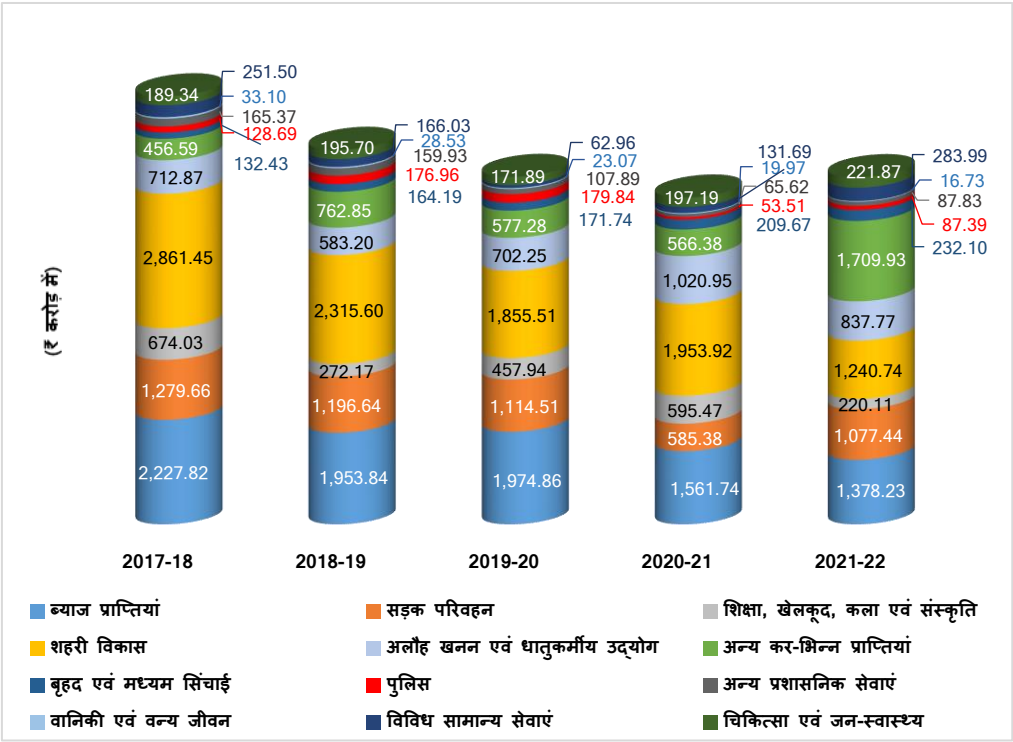

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

[4] अस्वामिक जमा, भूमि तथा संपत्ति की बिक्री, गारंटी फीस तथा अन्य प्राप्तियां।

[5] लाभांश एवं लाभ - ₹ 1,007.59 करोड़, लोक सेवा आयोग - ₹ 39.64 करोड़, जेल - ₹ 3.62 करोड़, आपूर्ति एवं निपटान - ₹ 3.19 करोड़, स्टेशनरी एवं मुद्रण - ₹ 1.27 करोड़, लोक निर्माण - ₹ 71.28 करोड़, पेंशन के लिए अंशदान और वसूली - ₹ 43.33 करोड़, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता - ₹ 58.80 करोड़, आवास - ₹ 12.66 करोड़, सूचना एवं प्रचार - ₹ 0.17 करोड़, श्रम एवं रोजगार - ₹ 42.93 करोड़, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण - ₹ 67.74 करोड़, अन्य सामाजिक सेवाएं - ₹ 0.83 करोड़, फसल पालन - ₹ 20.61 करोड़, पशुपालन - ₹ 5.41 करोड़, डेयरी विकास - ₹ 0.01 करोड़, मछली पालन - ₹ 2.78 करोड़, खाद्य भंडार एवं भंडारण - ₹ 203.23 करोड़, सहकारिता - ₹ 10.43 करोड़, अन्य कृषि कार्यक्रम - ₹ 1.24 करोड़, भूमि सुधार - ₹ 0.04 करोड़, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - ₹ 12.04 करोड़, ग्रामीण एवं लघु उद्योग - ₹ 1.52 करोड़, उद्योग - ₹ 0.07 करोड़, नागरिक विमानन - ₹ 0.43 करोड़, सड़क एवं पुल - ₹ 73.59 करोड़, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान- ₹ 0.01 करोड़, पर्यटन - ₹ 1.18 करोड़, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं - ₹ 24.29 करोड़।

2021-22 के दौरान कर-भिन्न राजस्व राजस्व प्राप्तियों का 9.47 प्रतिशत रहा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 432.64 करोड़ (6.21 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण सड़क परिवहन, विविध सामान्य सेवाओं और अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों की प्राप्तियों में वृद्धि के साथ शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति और शहरी विकास के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी समायोजित की गई है। कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियां (18.64 प्रतिशत), शहरी विकास (16.78 प्रतिशत), सड़क परिवहन (14.57 प्रतिशत), अलौह खनन और धातुकर्मीय उद्योग (11.33 प्रतिशत) और अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां (23.13 प्रतिशत) मुख्य अंशदाता हैं और कुल कर-भिन्न राजस्व में 84.45 प्रतिशत अंशदान करते हैं।

संबंधित विभागों ने भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया:

- **सड़क परिवहन:** 2020-21 की तुलना में 2021-22 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि हरियाणा रोडवेज द्वारा बसों के पूर्ण संचालन के कारण हुई।
- **पुलिस:** 2020-21 की तुलना में 2021-22 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (63.32 प्रतिशत) कोविड-19 के पश्चात पुलिस सेवाओं के लिए अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।
- **शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति:** 2020-21 की तुलना में 2021-22 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (63.04 प्रतिशत) प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा से केंद्रीय अंश की कम प्राप्तियों के कारण थी।
- **शहरी विकास:** 2020-21 की तुलना में 2021-22 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (36.50 प्रतिशत) आवेदनों की कम प्राप्ति और नई किफायती समूह आवास नीति के कारण हुई, जहां लाइसेंस फीस में छूट दी गई थी।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2022 को राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के संबंध में राजस्व के बकाया ` 35,639.25 करोड़ राशि के थे जिनमें से ` 6,378.97 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जो कि **तालिका 1.4** में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.4: राजस्व का बकाया

(` करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2022 को बकाया राशि	31 मार्च 2022 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	33,063.37	5,364.18	माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ` 1,046.89 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी तथा `66.61 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण रोके गए थे। ` 84.81 करोड़ की वसूली व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोकी गई थी, ` 106.03 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु प्रस्तावित थे तथा ` 2,977.50 करोड़ परिशोधन/ समीक्षा/एप्लीकेशन के कारण रोके गए थे। ` 3,370.45 करोड़ के बकायों की वसूली न्यायालय में लंबित मामलों के कारण लंबित थी, ` 4,793.24 करोड़ विभाग द्वारा अन्य कारणों से वसूली न करने के कारण लंबित थे। सरकारी परिसमापक/ औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास लंबित मामलों के कारण ` 1,992.80 करोड़ की वसूली बकाया थी। अंतर्राज्यीय बकाया ` 333.18 करोड़ था तथा अंतरजिले बकाया ` 85.43 करोड़ थे। ` 0.25 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ` 18,206.18 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों में थी।

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2022 को बकाया राशि	31 मार्च 2022 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
2	राज्य उत्पाद शुल्क	494.11	254.52	माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ` 21.78 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी। ` 1.08 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु संभावित थे। `118.37 करोड़ अंतरराज्ययीय तथा अंतर्जिले बकायों के कारण थे। `352.88 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थी।
3	बिजली पर कर एवं शुल्क	410.85	210.88	` 409.85 करोड़ की राशि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.)/उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) के उपभोक्ताओं की ओर लंबित थी तथा ` 1.00 करोड़ सरकारी परिसमापक के पास लंबित थे।
4	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	208.11	181.26	` 182.46 करोड़ की वसूली माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी, सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आ.र) के पास लंबित मामलों के कारण `4.88 करोड़ की वसूली लंबित थी। ₹ 0.07 करोड़ न्यायालय में मुकदमों के कारण लंबित थे, ` 0.44 करोड़ विभाग द्वारा अन्य कारणों से वसूली न करने के कारण लंबित थे। तथा ` 20.26 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर बकाया थे।
5	पुलिस	128.86	40.91	` 7.38 करोड़ भारतीय तेल निगम लिमिटेड (भा.ते.नि.लि.) से देय थे। हरियाणा राज्य में भारतीय तेल निगम लिमिटेड से वसूली का मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। ` 0.29 करोड़ भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.), फरीदाबाद से वसूलनीय थे तथा ` 121.19 करोड़ चुनाव ड्यूटी के लिए तथा कानून व्यवस्था हेतु अन्य राज्यों से वसूलनीय थे।
6	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां	11.12	11.11	` 8.52 करोड़ की वसूली माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी; न्यायालय में लंबित मामलों के कारण ` 0.21 करोड़ लंबित थे तथा ` 2.39 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर बकाया थी।
7	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	1,322.83	316.11	` 517.04 करोड़ की राशि वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत मांग के कारण बकाया थी, `50.63 करोड़ की वसूली माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ` 0.26 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे तथा अन्य कारणों से विभाग द्वारा वसूली न किये जाने के कारण ₹ 384.01 करोड़ लंबित थे। अंतरराज्यीय बकाया ₹ 13.32 करोड़ और अंतरजिला बकाया ₹ 221.84 करोड़ थे। ₹ 0.02 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व का बकाया ₹ 42.48 करोड़ था। कार्रवाई के अन्य चरणों में ₹ 93.23 करोड़ की शेष राशि बकाया थी।
	योग	**35,639.25**	**6,378.97**	

(स्रोत: विभागीय आंकड़ा)

1.3 कर-निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, कर-निर्धारण हेतु देय बने मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष की समाप्ति पर अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या के विवरण जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर/वैट के संबंध में प्रस्तुत किए गए, **तालिका 1.5** में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.5: कर-निर्धारणों में बकाया

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान कर-निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय कर-निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 6 से 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्रियों,	2020-21	35,570	3,606	39,176	34,140	5,036	87
व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2021-22	5,036	4,240	9,276	3,096	6,180	33

(स्रोतः राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर लंबित मामलों की संख्या पिछले वर्ष से बढ़ गई है। यह आगे अवलोकित किया गया कि मामलों के निपटान की प्रतिशतता 33 प्रतिशत थी।

1.4 विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 29 से 31 के अंतर्गत, विभाग कर अपवंचन का पता लगाने के लिए व्यावसायिक परिसरों का निरीक्षण करता है। आगे, विभाग नए करदाता की पहचान करने के लिए व्यावसायिक परिसरों का सर्वेक्षण करता है। इसके अतिरिक्त, माल के पारगमन के दौरान कर के अपवंचन का पता लगाने के लिए रोड साइड चेकिंग भी एक साधन है।

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के प्रकरणों, अन्तिमकृत मामलों तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, **तालिका 1.6** में दिए गए हैं।

तालिका 1.6: कर का अपवंचन

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2021 को लंबित मामले	2021-22 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें कर-निर्धारण/जांच पड़ताल पूर्ण हुई तथा पेनल्टी इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2022 को अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (` करोड़ में)	
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	0	3	3	2	0.01	1
2	राज्य उत्पाद शुल्क	132	61	193	144	9.41	49
योग		**132**	**64**	**196**	**146**	**9.42**	**50**

(स्रोत: आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा दी गई सूचना)

2021-22 के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या की तुलना में राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या में कमी और बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट के संबंध में वृद्धि हुई।

1.5 रिफंड मामले

वर्ष 2021-22 के आरम्भ में लंबित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंड तथा वर्ष 2021-22 के अंत में लंबित मामलों की संख्या **तालिका 1.7** में वर्णित हैं।

तालिका 1.7: रिफंड मामलों के विवरण

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि (` करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (` करोड़ में)
1	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	480	119.34	39	2.23
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	707	173.49	82	6.18
3	वर्ष के दौरान किए गए/ समायोजित/अस्वीकृत रिफंड	749	152.46	88	6.20
4	वर्ष के अंत में बकाया शेष	438	140.37	33	2.21

(स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा दी गई सूचना)

बिक्री कर/वैट और राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में वर्ष के आरंभ में बकाया मामलों की तुलना में वर्ष के अंत में बकाया मामलों की संख्या में कमी आई है।

वस्तु एवं सेवा कर के रिफंड के मामलों के संबंध में विभाग के पास पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं थी।

1.6 आंतरिक लेखापरीक्षा

वर्ष 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्लान किए गए 220 यूनिटों में से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान तथा परिवहन विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष ने 198 यूनिटों की लेखापरीक्षा की जैसाकि **तालिका 1.8** में विस्तृत किया गया है।

तालिका 1.8: आंतरिक लेखापरीक्षा

प्राप्तियां	प्लान की गई इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या
स्टाम्प शुल्क	143	143
राज्य उत्पाद शुल्क	22	22
वैट/बिक्री कर	शून्य	शून्य
मोटर वाहन कर	55	33
योग	**220**	**198**

अध्याय 2 से 4 में चर्चित अनियमितताएं अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की सूचक हैं। आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) द्वारा कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी तथा विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किए जाने के कारण प्रदान नहीं किए गए थे।

1.7 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। इन निरीक्षणों के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.) तैयार किए जाते हैं, जो संबंधित कार्यालय प्रमुखों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए जारी किए जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों की अनुपालना की जानी अपेक्षित है। गंभीर अनियमितताएं, विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रबंधन-पत्र के रूप में सूचित की जाती हैं।

जून 2022 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चलता है कि जून 2022 के अंत में 3,053 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ` 11,323.13 करोड़ से आवेष्टित 9,950 अनुच्छेद बकाया रहे जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़ों के साथ **तालिका 1.9** में वर्णित है।

तालिका 1.9: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण

	जून 2020	दिसंबर 2021	जून 2022
निपटान हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,765	2,973	3,053
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	8,695	9,732	9,950
आवेष्टित राजस्व की राशि (` करोड़ में)	10,688.15	11,522.78	11,323.13

1.7.1 जून 2022 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और आवेष्टित राशि के विभाग-वार विवरण **तालिका 1.10** में वर्णित हैं।

तालिका 1.10: निरीक्षण प्रतिवेदनों के विभाग-वार विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	आवेष्टित धन मूल्य (` करोड़ में)
1	**आबकारी एवं कराधान**	बिक्री कर/वैट	423	4,179	8,561.43
		राज्य उत्पाद शुल्क	239	511	447.07
		माल एवं यात्रियों पर कर	254	465	40.01
		मनोरंजन शुल्क एवं प्रदर्शन कर	49	65	12.47
2	**राजस्व**	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	1,310	3,506	502.59
		भू-राजस्व	168	240	0.92
3	**परिवहन**	वाहनों पर कर	492	781	124.80
4	**विद्युत**	बिजली पर कर एवं शुल्क	13	22	0.93
5	**खदान एवं भू-विज्ञान**	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	105	181	1,632.91
योग			**3,053**	**9,950**	**11,323.13**

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की वृद्धि इस तथ्य को इंगित करती है कि कार्यालयाध्यक्षों और विभागों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई प्रारंभ नहीं की।

सरकार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण प्रतिवेदनों पर विभागों की प्रतिक्रियाओं की प्रभावी निगरानी की एक प्रणाली स्थापित करे।

1.7.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुच्छेदों के समायोजन की प्रगति को मॉनीटर एवं तीव्र करने के लिए लेखापरीक्षा समितियां गठित की। वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों और निपटाए गए अनुच्छेदों का विवरण **तालिका 1.11** में वर्णित है।

तालिका 1.11: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निपटाए गए अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर)	5	150	11.83

1.7.3 लेखापरीक्षा को जांच के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

वर्ष 2021-22 के दौरान, 16 फाईलें तथा अन्य संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। मामलों का जिला-वार विवरण **तालिका 1.12** में उल्लिखित है।

तालिका 1.12: अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के विवरण

कार्यालय/विभाग का नाम	वर्ष, जिसमें इसकी लेखापरीक्षा की जानी थी	प्रस्तुत न किए गए मामलों की संख्या
उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) {डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)}		
कुरूक्षेत्र	2021-22	02
कैथल	2021-22	14
योग		**16**

(स्रोत: कार्यालय द्वारा संकलित डाटा)

1.7.4 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर सरकार के उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेद, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/अपर मुख्य सचिवों को लेखापरीक्षा उपलब्धियों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने और छः सप्ताह के भीतर उनके उत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए अग्रेषित किए जाते हैं। विभागों/सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुच्छेदों के अंत में दर्शाया जाता है।

अक्तूबर 2022 और जून 2023 के मध्य कुल 23 प्रारूप अनुच्छेदों {एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (वि.वि.अ.ले.) और एक सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा सहित} को संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों के पास भेजा गया था। इन मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है; तथापि, सरकार के साथ आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई चर्चाओं को प्रतिवेदन में सही स्थान पर उचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

1.7.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति

वित्त विभाग द्वारा अक्तूबर 1995 में जारी किए गए तथा जुलाई 2001 में पुनः दोहराए गए निर्देशों के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुतिकरण के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्रवाई आरंभ करेंगे तथा प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन माह के अंदर सरकार द्वारा लोक लेखा समिति के विचार हेतु इस पर कृत कार्रवाई व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के राजस्व सेक्टर पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसमें तीन विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित कुल 17 अनुच्छेद शामिल थे, को 8 अगस्त 2022 को राज्य विधान सभा के समक्ष रखा गया था। हालांकि, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए दो विभागों के 17 अनुच्छेदों (आबकारी एवं कराधान: 11 और राजस्व: छः), जैसाकि ***परिशिष्ट-I*** में वर्णित है, के संबंध में अब तक (20 जनवरी 2023) कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी।

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 27 अनुच्छेदों पर लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा की जानी है (20 जनवरी 2023)। ***परिशिष्ट-II*** और ***परिशिष्ट-III*** में यथा उल्लिखित लोक लेखा समिति की 22वीं से 84वीं रिपोर्ट में निहित 1979-80 से 2016-17 की अवधि से संबंधित 924 सिफारिशों में संबंधित विभागों द्वारा अंतिम सुधारात्मक कार्रवाई की जानी थी, वह अभी तक लंबित थी।

1.8 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए गए मामलों का जवाब देने की प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए एक विभाग के संबंध में गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेदों 1.8.1 से 1.8.2 में मोटर वाहनों पर कर के अंतर्गत परिवहन विभाग के निष्पादन पर चर्चा की गई है, जिसमें पिछले 10 वर्षों में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए मामलों को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल किया गया है।

1.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

गत 10 वर्षों के दौरान परिवहन विभाग को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की संक्षेपित स्थिति तथा 31 मार्च 2022 को उनकी स्थिति ***परिशिष्ट IV*** में उल्लिखित है।

31 मार्च 2022 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या 2012-13 में 270 से 2021-22 में 471 तक बढ़ गई तथा अनुच्छेदों की संख्या 2012-13 में 360 से 2021-22 में 786 तक बढ़ गई थी। अवधि के दौरान कोई लेखापरीक्षा समिति की बैठक (ए.सी.एम.) परिवहन विभाग से संबंधित नहीं की गई थी। सरकार को भविष्य में लंबे समय से लंबित अनुच्छेदों के निपटान हेतु लेखापरीक्षा समिति बैठकें करनी चाहिए।

1.8.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए तथा वसूली की गई राशि की स्थिति ***परिशिष्ट-V*** में दी गई है।

गत 10 वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों में भी वसूली की प्रगति कम (5.19 प्रतिशत) थी। विभाग स्वीकृत मामलों में देयों की शीघ्र वसूली का अनुसरण तथा मॉनीटर करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करे।

1.9 लेखापरीक्षा योजना

हरियाणा राज्य में कुल 393 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां हैं जिनमें से 2021-22 के दौरान 104 इकाइयों की योजना बनाई गई थी तथा लेखापरीक्षा की गई थी। इकाइयों का चयन जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया था।

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस से संबंधित 104 यूनिटों (राजस्व 102 + व्यय 2) के अभिलेखों की वर्ष 2021-22 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 2,552 मामलों में कुल ` 1,103.94 करोड़ के कर के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि दर्शाई। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 1,077 प्रकरणों में शामिल ` 643.07 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभागों ने वर्ष 2021-22 के दौरान 64 मामलों में ₹ 3.52 करोड़ वसूल किए, जिनमें से ₹ 3.35 करोड़ की राशि के 39 मामले पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं।

1.11 इस प्रतिवेदन की कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹ 724.46 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ से आवेष्टित 16 प्रारूप अनुच्छेद, वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइल करने में विभाग की निगरानी पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा पर दूसरी विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल हैं।

विभागों/सरकार ने ` 629.34 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ` 0.14 करोड़ वसूल कर लिए गए थे। इन पर अनुवर्ती अध्याय 2 से 5 में चर्चा की गई है।